REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 15 | ISSUE - 8 | MAY - 2026

भरतपुर: जाट प्रशासन और उसका स्वरूप

डॉ. प्रमोद कुमार
सहायक आचार्य, इतिहास
एम.एस.जे. कॉलेज, भरतपुर (राज.)

सामान्य सारांश:-

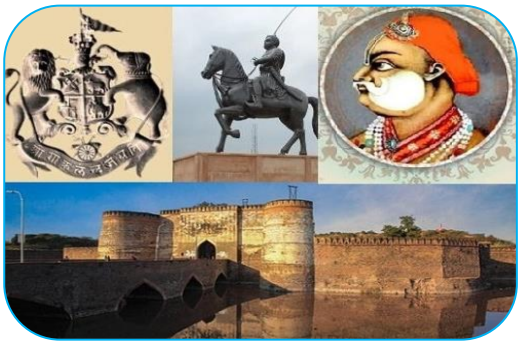

18वीं सदी में भरतपुर के जाट शासकों द्वारा स्थापित शासन प्रणाली, मूलतः मुग़ल शासन प्रणाली का ही लघु रूप थी। इसमें राजा प्रशासन की समस्त शक्तियों का मुख्य केन्द्र बिन्दु होने के बावजूद निरंकुश अथवा स्वेच्छाचारी नहीं था। जाट समुदाय के विभिन्न गोत्रों के मुखियाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण व प्रभावशाली व्यक्तियों का उस पर प्रभावी नियंत्रण था। जाट राज्य प्रधानतः एक सैनिक राज्य था, जिसमें नियमित मंत्रिपरिषद जैसी संस्था का अभाव था, परन्तु इसमें 'कौमी परिषद' की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजा के पश्चात सर्वोच्च पद दीवान का होता था, जिसे 'मुख़्तार' के नाम से पुकारा जाता था। जाट प्रशासन में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद था। दीवान राज्य में सरकार तथा प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी था और इस रूप में वह प्रशासनिक मामलों में शासक तथा राज्य के अन्य कर्मचारियों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। वहीं, नागरिक एवं न्यायिक प्रशासन की दृष्टि से जाट राज्य को भरतपुर तथा डीग नामक दो भागों में विभाजित किया गया था। सूरजमल के समय जाट राज्य तीन सरकारों में विभक्त था, जो प्रांतों के समान इकाई थी। प्रत्येक सरकार एक प्रान्तपति अथवा गवर्नर के अधीन होती थी। गवर्नर के नीचे उसकी सहायता हेतु एक दीवान तथा किलेदार नामक पदाधिकारी होते थे। प्रत्येक सरकार को अनेक परगनों में विभाजित किया गया था। परगनों का हाकिम फौजदार कहलाता था। फौजदार पर अपने परगनों में शांति व व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी होती थी। वह अपने क्षेत्र का न्याय अधिकारी भी होता था और मालगुजारी तथा अन्य करों की वसूली में सहयोग भी करता था। फौजदार के अधीन प्रदेशों को अनेक थानों के रूप में विभाजित किया गया था, जो थानेदार नामक अधिकारी के अधीन थे। बड़े शहरों में शांति तथा व्यवस्था की स्थापनार्थ कोतवाल नामक अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था।

मुख्य शब्द (Key Words):- सैनिक राज्य, मंत्रिपरिषद, कौमी परिषद, दीवान, किलेदार, सरकार, परगना, फौजदार, कोतवाल।

18वीं सदी में भरतपुर के जाट शासकों ने अपने राज्य के लिए जिस शासन प्रणाली का निर्माण किया था, वह वस्तुतः मुग़ल शासन प्रणाली का ही तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप अपनाया गया एक सूक्ष्म और संशोधित रूप था। चूँकि जाट राज्य की स्थापना मुग़ल साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर ही हुई थी और उसकी स्थिति भी शाही राजधानी के एकदम नज़दीक थी, अतः यह स्वाभाविक ही था कि उसकी शासन प्रणाली के स्वरूप और ढ़ाँचे पर मुग़ल शासन व्यवस्था और उसकी विशेषताओं का गहरा प्रभाव हो।

जाट राज्य में राजा प्रशासन की समस्त शक्तियों का मुख्य केन्द्र बिन्दु था। परन्तु उसकी स्थिति मुग़ल सम्राट की तरह पूर्ण निरंकुश अथवा स्वेच्छाचारी[1] नहीं थी। हालाँकि बाह्य दृष्टि से उस पर किसी तरह का कोई व्यावहारिक नियंत्रण नहीं था, परन्तु राज्य प्रशासन के आन्तरिक मामलों के संचालन व पद वितरण आदि में उसे अपने समुदाय की भावनाओं का ख्याल रखना पड़ता था। वह प्रायः अपने समुदाय के विभिन्न गोत्रों के मुखियाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण व प्रभावशाली व्यक्तियों के परामर्श की पूर्ण अवहेलना नहीं कर सकता था। एक शासक के रूप में निर्णय लेते समय उसे कुल-गोत्र संबंधों तथा अपने समुदाय की भावनाओं का ध्यान रखना होता था, जो कि उसकी शक्ति के आधार व जाट राज्य की बुनियाद के आधार स्तम्भ थे।

जाट राज्य प्रधानतः एक सैनिक राज्य था। सैन्य समस्याओं में व्यस्त रहने तथा राज्य के सुरक्षा संबंधी मामलों की जटिलता के कारण जाट शासकों को अपने प्रशासनिक ढाँचे को अधिक व्यवस्थित तथा विकसित करने की दिशा में ध्यान देने का अधिक समय नहीं मिला। बदनसिंह तथा सूरजमल का मुख्य ध्येय अपने राज्य के समुचित विस्तार तथा उसकी सुरक्षा की ओर अधिक था, अतः उन्होंने प्रशासनिक कुशलता व निपुणता की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा वह अपने संसाधनों तथा सामर्थ्य से भी भली-भांति परिचित थे, अतः उन्होंने अपने प्रशासन को मुग़लों की भांति अधिक भारयुक्त बनाने का प्रयास भी नहीं किया।

जाट राज व्यवस्था में राजा का पद परम्परानुसार आनुवांशिकता पर आधारित था और राज्याधिकार पिता से उसके ज्येष्ठ पुत्र को हस्तांतरित होता था। जाट राज्य के प्रथम शासक बदनसिंह को डीग के समीप आयोजित किये गये एक राजनीतिक समारोह में 23 नवम्बर, 1722 ई. को जयसिंह ने जाट राज्य का मुखिया निर्वाचित किया था। उस समय स्वयं जयसिंह ने अपने हाथों से बदनसिंह का राजा की भांति टीका किया था।[2] ऐसे ही एक अन्य समारोह में 7 जून, 1756 ई. को डीग में बदनसिंह की मृत्यु पर सूरजमल विधिवत् राजा घोषित हुआ था।[3] इस समय से जाट राज्य की राजधानी भी हटकर डीग से भरतपुर बन गई थी। सामान्यतया शासक की मृत्यु के तुरन्त बाद ही नये राजा का राज्याभिषेक सम्पन्न हो जाता था।[4] परन्तु सूरजमल की मृत्यु के समय जवाहरसिंह के फ़र्रुखाबाद में होने तथा नाहरसिंह सहित जाट सेना के दिल्ली के निकट होने से ऐसा तत्काल सम्भव नहीं हो पाया था।[5]

जाट राज्य में प्रशासन का सारा कार्य राजा के नाम से सम्पन्न होता था जो कि राज्य व सरकार दोनों का ही प्रधान होता था। इस दृष्टि से शासकों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे।[6] मुग़ल सम्राट का नाममात्र का सामन्त होने के कारण जाट शासक वास्तविक अर्थों में सम्प्रभु था। विशेषतः सूरजमल के समय राज्य के बाह्य और आन्तरिक मामलों में शासक की सत्ता ही सर्वोपरि थी। राज्य की विधायी, कार्यकारी, सैनिक, वित्तीय एवं न्यायिक शक्तियां राजा में ही निहित थीं और राज्य के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति व बर्खास्तगी वह स्वयं ही करता था।[7]

केन्द्रीय अधिकारी तन्त्र

जाट राज्य के प्रशासन में किसी नियमित मंत्रिपरिषद जैसी संस्था का सख़्त अभाव था। हालाँकि जाट शासक अपने दरबार में अपने स्वजातीय बन्धुओं तथा विभिन्न कुल-गोत्र के मुखियाओं से निर्मित 'कौमी परिषद'[8]

जैसी संस्था के परामर्श और सलाह को अपने कार्यों व नीतियों में महत्वपूर्ण स्थान देते थे, परन्तु यह कोई नियमित व औपचारिक संस्था नहीं थी और न ही यह मंत्रिपरिषद जैसी संस्था का स्थान ले पाई थी। हालाँकि सूरजमल के समय हमें उसकी सलाहकार परिषद का उल्लेख मिलता है जिसमें दीवान जीवाराम, राजपुरोहित रूपराम कटारा, बख़्शी द्विज मोहनराम और बलराम जाट (भरतपुर दुर्ग का अधिकारी) समान रूप से प्रभावशाली व्यक्ति थे।[9] अनौपचारिक रूप से जाटों की चारों डूँगों के प्रमुख व्यक्तियों को भी दरबार में तथा राजनैतिक मंत्रणा में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, जैसा कि 1754 ई. में राजधानी डीग की सभा में उन्हें आमन्त्रित[10] किये जाने से स्पष्ट है।

जाट प्रशासन में राजा के पश्चात सर्वोच्च पद दीवान का होता था, जिसे 'मुख़्तार' के नाम से पुकारा जाता था।[11] जाट प्रशासन में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद था। दीवान राज्य में सरकार तथा प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी था और इस रूप में वह प्रशासनिक मामलों में शासक तथा राज्य के अन्य कर्मचारियों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। जाट राज्य के समस्त दीवानी तथा सैनिक मामलों की देख-रेख, नियंत्रण तथा निर्देशन में उसकी सर्वाधिक प्रभावशाली भूमिका थी। राजा के नाम से जारी होने वाले समेत आदेशों को जारी करने और उनकी पालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी उसी की ही थी। सूरजमल द्वारा नव-विजित क्षेत्रों के एकीकरण तथा उनके प्रशासन की व्यवस्था का कार्य भी दीवान को ही सौंपा गया था।[12]

यद्यपि जाट राज्य में दीवान के द्वारा प्रशासन के विभिन्न विभागों के नियंत्रण व निगरानी का कार्य किया जाता था परन्तु वह प्रधानतः राजस्व विभाग का ही प्रमुख था और इस रूप में वह राजस्व संबंधी समस्त कागज़ातों तथा फाइलों के संकलन करने, आय-व्यय का विवरण रखने तथा अपने अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को निर्देश तथा आज्ञा देने का कार्य करता था। राज्य के महत्वपूर्ण अनुभागों की देख-रेख, खजाने का हिसाब-किताब तथा राजस्व संबंधी आय-व्यय का समस्त विवरण उसी की निगरानी तथा नियंत्रण में रहता था और उसकी पूर्व स्वीकृति के बिना कोई व्यय नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा वह राज्य के सभी अधिकारियों, फौजदारों, आमिलों तथा विभिन्न विभागों के अध्यक्षों को राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न दायित्वों को सौंपने का कार्य भी करता था। उसे राज्य के विभिन्न प्रशासनिक कार्यों तथा विभागीय घटनाओं और कार्यक्रमों की प्रतिदिन की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती थी, जिससे वह शासक को अवगत कराता था।[13] राजकीय कार्यों को निपटाने के लिए राजधानी में मुख्य दीवान का अपना एक पृथक कार्यालय होता था जो दफ़्तर दीवानान कहलाता था। उसके नीचे विभिन्न प्रांतों के क्षेत्रीय दीवान भी होते थे। इनका मुख्य कार्य मालगुज़ारी वसूल कर उसे उसके हिसाब सहित मुख्य दीवान के पास भेजना था।[14] इसके अलावा डीग तथा भरतपुर के दुर्गों के भी पृथक दीवान[15] होते थे। राजस्व संबंधित मामलों के अतिरिक्त इनके ऊपर संबंधित दुर्गों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी होता था और ये किलेदार के साथ मिलकर दुर्ग की सुरक्षा व प्रशासन में भी भाग लेते थे। इस प्रकार जाट राज्य में दीवान की स्थिति बड़ी ही महत्वपूर्ण थी और यह पद मुग़लकालीन दीवान या वज़ीर के समान ही था।[16]

क्षेत्रीय प्रशासन

जाट शासकों ने मुग़ल प्रदेशों को हस्तगत कर जिस राज्य का निर्माण किया था, उसके क्षेत्रीय प्रशासन में उन्होंने कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। उनका ध्यान इन प्रदेशों में आवश्यक शांति-व्यवस्था बनाये रखने तथा भू-राजस्व की नियमित वसूली तक अधिक सीमित रहा। अतः उन्होंने मुग़लकालीन भूमि प्रबंधन में केवल आवश्यक परिवर्तन ही किये थे। सहार का परगना चार भागों में विभाजित किया गया था - सहार, शेरगढ़, कोसी और शाहपुर। इसी प्रकार मांगोतला को भी सौंख और सोंसा नामक दो भागों में बाँटा गया था। फरह, मुरसान, सैंपऊ

तथा मांट इस समय नये परगनों के रूप में गठित किये गये थे।[17] राज्य के कई दूसरे जिलों में भी इसी प्रकार के परिवर्तन किये गए थे।

नागरिक एवं न्यायिक प्रशासन की दृष्टि से जाट राज्य को भरतपुर तथा डीग नामक दो भागों में विभाजित किया गया था। मूलतः भरतपुर राज्य में 13 परगने थे।[18] भरतपुर, रूपवास, बयाना, उच्चैन-रूदावल, बैर, भुसावर, अखैगढ़ और कुम्हेर नामक आठ परगने भरतपुर सम्भाग में आते थे जबकि डीग, गोपालगढ़, काँमा, पहाड़ी तथा नगर नामक पाँच परगने डीग सम्भाग में पड़ते थे। परन्तु महाराजा सूरजमल की विजयों एवं राज्य विस्तार के फलस्वरूप बाद में आगरा सूबा और दोआब के अनेक परगने भी जाट राज्य में सम्मिलित हो गए थे।[19]

महाराजा सूरजमल के समय जाट राज्य भरतपुर, डीग तथा रामगढ़ (अलीगढ़) नामक तीन सरकारों में विभक्त था।[20] ये सरकार नामक इकाईयाँ जाट राज्य में प्रांतों के समान थीं। प्रत्येक सरकार एक प्रान्तपति अथवा गवर्नर के अधीन होती थी। गवर्नर के नीचे उसकी सहायता हेतु एक दीवान तथा किलेदार नामक पदाधिकारी होते थे। यों तो प्रत्येक सरकार में अनेकों किले मौजूद होते थे परन्तु सरकार में स्थित जिस किले में गवर्नर का निवास होता था, वह प्रायः प्रथम कोटि का होता था। सूरजमल के समय भरतपुर के गवर्नर के रूप में बलराम, डीग में जवाहरसिंह तथा रामगढ़ में दुर्जनसाल आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। प्रान्त के प्रधान किलेदार[21] का कार्य किले की सुरक्षा व सैनिक व्यवस्था बनाये रखना होता था। प्रान्तपति या गवर्नर के आदेशानुसार प्रान्त के अन्य किलेदारों की नियुक्ति तथा सैनिक व्यवस्था का सम्पादन भी उसी की जिम्मेदारी होती थी।[22]

जाट राज्य में प्रत्येक सरकार को अनेक परगनों में विभाजित किया गया था। परगनों का हाकिम फौजदार[23] कहलाता था। फौजदार पर अपने परगनों में शांति व व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी होती थी। इसके लिए उनके पास सेना की एक टुकड़ी विद्यमान रहती थी। वह अपने क्षेत्र का न्याय अधिकारी भी होता था और मालगुजारी तथा अन्य करों की वसूली में सहयोग भी करता था।[24]

फौजदार के अधीन प्रदेशों को अनेक थानों के रूप में विभाजित किया गया था। प्रत्येक थाने में थानेदार नामक अधिकारी नियुक्त रहता था जो अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर फौजदार की सहायता करने हेतु उत्तरदायी था। सूरजमल के समय मथुरा का फौजदार चाहरा, कोसी का हठिसिंह तथा डीग का फौजदार गोपालसिंह था। गवर्नर तथा फौजदारों की नियुक्ति शासक की आज्ञा से सुरक्षा विभाग जारी करता था जो सूरजमल के समय ठाकुर गजसिंह के अधीन था। अपने प्रान्त के किलेदारों की नियुक्ति का अधिकार स्वयं गवर्नर को ही प्राप्त था।[25] बड़े शहरों में शांति तथा व्यवस्था की स्थापनार्थ कोतवाल[26] नामक अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था।

सन्दर्भ

1 मुग़ल शासन से प्रभावित होने के बावजूद जाट राज्य में राजा की स्थिति तथा उसके पद का स्वरूप, मुग़ल शासन प्रणाली में सम्राट की भूमिका से काफी भिन्न था। जाट शासन प्रणाली के विपरीत मुग़ल शासन एक अत्यन्त केन्द्रीकृत तथा निरंकुश राज्य-शासन था। राज्य-शासन के सम्पूर्ण ढाँचे का प्रेरक राज्य पद ही था। सम्राट ही एकमात्र राज्य की समस्त शक्तियों का केन्द्र था और उसके मन्त्रियों की स्थिति भी केवल सचिवों के समान थी जो प्रत्येक कार्य में राजेच्छा की पूर्ति किया करते थे और साधारण अनुरोध एवं अन्तर्निहित चेतावनी के अतिरिक्त वे सम्राट की नीति को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकते थे। मुग़ल शासन में सम्राट राज्य और धर्म दोनों का ही प्रधान था। उद्धृत, जदुनाथ सरकार, मुग़ल शासन-पद्धति, पृ. 8, 12-13

2 दस्तूर कौमवार, VII, पृ. 436

3 डब्ल्यू. फ्रैंकलिन, द हिस्ट्री ऑफ़ द रीजन ऑफ़ शाह आलम, पृ. 51

4 के. बी. एल. गुप्ता, द इव्होल्यूशन ऑफ़ ऐडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़ द फॉर्मर भरतपुर स्टेट, पृ. 36

5 प्रकाश चंद्र चांदावत, महाराजा सूरजमल और उनका युग, पृ. 223

6 गुप्ता, पूर्वोद्धत, पृ. 37-38

7 चांदावत, पृ. 223

8 'कौमी परिषद' वस्तुतः जाट जाति के प्रमुख गोत्र व परिवारों के प्रभावशाली मुखियाओं की एक प्रभावशाली संस्था थी। बदनसिंह के समय इसका प्रमुखता से उल्लेख प्राप्त होता है।

9 चांदावत, पृ. 224

10 सूदन, सुजान चरित्र, पृ. 217

11 गुप्ता, पृ. 40

12 चांदावत, पृ. 224

13 गुप्ता, पृ. 42-43

14 गंगासिंह, ज्ञात वंश: भरतपुर का इतिहास, खंड I, पृ. 391

15 सुजान चरित्र, पृ. 220

16 मुग़लों से पूर्व सल्तनत काल में दीवान-ए-विजारत नामक विभाग में राजस्व, सैन्य एवं वित्त विभाग से संबंधित कार्य होता था। (आई. एच. कुरैशी, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़ द सल्तनत ऑफ़ देहली, पृ. 82-85) मुग़ल काल में दीवान राजस्व मंत्री होता था और वह अर्थ संबंधी मामलों में सम्राट का नायब होता था, वही शाही हिसाब-किताब एवं राजकोष को देखता था। उसके पास मालगुजारी की रकम रहती थी और वही अराजकता की स्थिति में व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी था। अकबर के समय में दीवान को प्रायः वज़ीर के नाम से जाना जाता था। उद्धृत, सरकार, मुग़ल शासन-पद्धति, पृ. 17; सक्सेना, मुग़ल शासन प्रणाली, पृ. 39

17 मथुरा गजेटियर, पृ. 201

18 ओडायर, फाइनल सेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ़ द भरतपुर स्टेट, पृ. 3; ज्वाला सहाय, हिस्ट्री ऑफ़ भरतपुर, पृ. 60

19 चांदावत, पृ. 232

20 गंगासिंह, खंड I, पृ. 391

21 सुजान चरित्र, पृ. 226

22 गंगासिंह, खंड I, पृ. 391; चांदावत, पृ. 224

23 अबुल फजल, आइन-ए-अकबरी, खंड II, पृ. 40-41 और निकोलो मनूची, स्तोरियो दो मोगोर, खंड II, पृ. 450-51 में फौजदार के कार्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है।

24 गंगासिंह, खंड I, पृ. 392

25 वही।

26 कोतवाल के कार्यों के विस्तृत वर्णन के लिए देखें, आइन-ए-अकबरी, खंड II, पृ. 41-43